77 COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES — COURT FEE भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

42

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक : -II/07 RN R-1725-II/07

[illegible] पुत्र [illegible] जाति ब्राम्हण
निवासी ग्राम बिलगांव चौथरा तहसील जौरा
जिला मुरैना म0प्र0

---- आवेदक

श्री राम [illegible] शर्मा, [illegible] द्वारा आज दि. 17.10.07 को प्रस्तुत।
अवर सचिव 10/7
राजस्व मण्डल म0 प्र0 ग्वालियर

बनाम

1- म0प्र0 शासन द्वारा तहसीलदार जौरा
जिला मुरैना म0प्र0

2- [illegible] पुत्र [illegible] जाति ब्राम्हण
निवासी ग्राम बिलगांव चौथरा तहसील जौरा
जिला मुरैना म0प्र0

--- अनावेदकगण

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू राजस्व संहिता विरुद्ध आदेश
दिनांक 11-10-2007 द्वारा पारित न्यायालय अपर आयुक्त
चंबल संभाग मुरैना प्र0क्र0 20/06-07/निगरानी
[illegible] म0प्र0 [illegible] के निर्णय से
दुःखी [illegible] ।

-------0-------

श्रीमान जी,

निवेदन निम्न प्रकार है :-

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य :-

1- यह कि, [illegible] ग्राम बिलगांव चौथरा तहसील जौरा जिला
मुरैना [illegible] सर्वे नं. 2472 के अंश भाग 48x40
पर आवेदक [illegible] है । इस
[illegible] जौरा
[illegible] प्रस्तुत [illegible] ।
[illegible]

[illegible] न्यायालय में होने जाने की
[illegible]
आवेदक

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण क0 1725–दो/2007 निगरानी जिला मुरैना

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
7/8/18	पूर्व पेशी पर आवेदक के अभिभाषक एंव म0प्र0शासन के पैनल लायर को सुना जा चुका है। प्रकरण आदेश हेतु प्रस्तुत हुआ। अवलोकन किया गया। यह निगरानी अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना के प्र.क. 20/2006–07 विविध में पारित आदेश दिनांक 11–10–2007 के विरूद्व म0प्र0भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ दोनों पक्षों के अभिभाषकों के तर्को के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण के अवलोकन पर पाया गया कि मौजा विलगॉव चौधरी की शासकीय भूमि सर्वे नंबर 2472 रकबा 6–16 हैक्टर के अंश भाग 48X40 वर्गफुट पर आवेदक ने अतिक्रमण कर मकान निर्माण चालू किया। अतिक्रमण की शिकायत आने पर तहसीलदार जौरा ने आवेदक के विरूद्व प्रकरण कमांक 153/2006–07 अ–68 पॅजीबद्व कर कार्यवाही प्रारंभ की। तहसीलदार के इस प्रकरण को अन्य न्यायालय में हस्तांतरित करने हेतु आवेदक ने अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना के समक्ष म0प्र0भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 29 के अंतर्गत आवेदन दिया, जिसे अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना ने आदेश दिनांक 11–10–2007 से निरस्त कर दिया। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है, किन्तु राजस्व मण्डल में निगरानी प्रकरण के प्रचलित रहते हुये तहसीलदार जौरा ने प्रकरण कमांक 153/2006–07 अ–68 में पारित आदेश दिनांक 23–10–07 से प्रकरण का अंतिम निराकरण कर दिया है जिसके कारण तहसीलदार जौरा के प्रकरण कमांक 153/2006–07 अ–68 को अन्यत्र न्यायालय में हस्तांतरित करने का अधार एंव औचित्य नहीं रह गया है एंव यह निगरानी अप्रचलनशील हो जाने से इसी–स्तर पर निरस्त की जाती है। सदस्य	